

परियोजना का नाम:— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत सतौली से कफूडा तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु।

NOTE FOR JUSTIFICATION

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत सतौली से कफूडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.00 किमी० लम्बाई में शासनादेश संख्या 827/111-2/06-07 (प्र०आ०)/05 टी०सी० दिनांक 28.03.2006 द्वारा प्रशासकीय एवं स्वीकृति प्राप्त हुई, जिस क्रम में इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना है।

यह मार्ग शीतल प्यूडा मोटर मार्ग के कि०मी० 5 के सतखोल नामक स्थान से प्रारम्भ होकर ग्राम सतौली से कफूडा तक जाता है, इस मार्ग के समरेखण में निम्नानुसार 345 मीटर लम्बाई में वन पंचायत भूमि, 2975 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि एवं 2680 मीटर लम्बाई में नाप भूमि आती है। जिसमें वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल 0.3105 हेक्टेयर एवं 2.6765 इस प्रकार कुल वन भूमि हस्तान्तरण का क्षेत्रफल 2.988 हेक्टेयर है तथा विभिन्न प्रजाति के कुल 223 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसके अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हो जाने से इस मार्ग से लगाय अधिकांश ग्रामों की जनता (जनसंख्या-1491) को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु समस्त ग्रामवासियों से विचार-विमर्श कर एवं मार्ग में पडने वाले पेड़ों की संख्या न्यूनतम रखते हुए तथा भू-वैज्ञानिक के सुझावों के अनुसार इस मार्ग का समरेखण तैयार किया गया है, जो सक्षम तकनिकि अधिकारी से स्वीकृत है। इस मार्ग हेतु अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं। मार्ग निर्माण हो जाने से अधिकांश ग्रामवासियों को आवागमन की सुविधा के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं रोजगार से संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करने में सुगमता प्राप्त होगी। साथ ही सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासियों को प्रभावी तरीके से प्राप्त हो सकेगा।

अतः उपरोक्तानुसार मार्ग में पडने वाली वन भूमि का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।


अधिशारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
नैनीताल।